न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी— मूलचन्द लूणियां आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 126/2019
निर्णय दिनांक : 30.01.2023

लिच्छमण पुत्र स्व. राजाराम जाति नायक आयु 26 वर्ष निवासी मंगलपुरा तहसील लाडनूं जिला नागौर राजस्थान

..........वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

..........प्रतिवादी

उपस्थित :—
1. श्री महेश शर्मा अधिवक्ता वादी
2. पेरोकार राज नायब तहसीलदार सुजानगढ़

दावा रेकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधि. 1955

—: निर्णय :—

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत ख.स 405/32 तादादी 0.1011 हैक्टेयर, ख.स. 406/32 तादादी 4.6028 हैक्टेयर, ख.स. 407/32 तादादी 10.1160 कुल तादादी 14. 8199 हैक्टेयर रोही मंगलवासी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित हैं जिसमें वादी का 1/72 हिस्सा है में जिसमें विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करते समय वादी का नाम घर का बोलता नाम ओंकार दर्ज कर दिया गया जबकि वादी के समस्त दस्तावेज परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड में लिच्छमण ही दर्ज है।

वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने से वादी को मिलने वाले सरकारी फायदों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः रोही मौजा मंगलवासी के उपरोक्त खसराजात में वादी का सही नाम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरस्त करने का श्रम करावें।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलब किया गया। चूकिं वादी का वर्तमान निवास स्थान ग्राम मंगलपुरा तहसील लाडनूं जिला नागौर राजस्थान है इसलिए तहसीलदार लाडनूं से प्रकरण [illegible] रिपोर्ट चाही गई। जिस पर तहसीलदार लाडनूं ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खेत ख.स 405/32 तादादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2023.02.13 12:08:33 IST
Reason: SelfAttested

0.1011 हैक्टेयर, ख.स. 406/32 तादादी 4.6028 हैक्टेयर, ख.स. 407/32 तादादी 10.1160 कुल तादादी 14.8199 हैक्टेयर रोही मंगलवासी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में वादी का नाम ओंकार पुत्र राजाराम दर्ज चला आ रहा है जबकि जांच रिपोर्ट अनुसार लिछमण व औंकार एक ही व्यक्ति के नाम हैं तथा इस नाम से दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है।

रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी का नाम वादगत सम्पति में गलत दर्ज चला आ रहा है। जबकि वादी का नाम उसके सरकारी तथा अर्द्धसरकारी दस्तावेजों में लिच्छमण ही है। अतः वादी का नाम दुरस्त कर लिच्छमण किया जावे।

रिपोर्ट तहसीलदार व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के आधार कार्ड में, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की प्रति आदि दस्तावेज में भी प्रार्थी का सही नाम लिच्छमण पुत्र राजाराम ही है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली तथा उपलब्ध दस्तावेजात का तथा रिपोर्ट तहसीलदार लाडनूं का अवलोकन किया गया। तहसीलदार लाडनूं ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि लिछमण व औंकार एक ही व्यक्ति के नाम हैं तथा इस नाम से दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है।

अतः न्यायालय वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझता है।

आदेश

अतः दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत खेत ख.स 405/32 तादादी 0.1011 हैक्टेयर, ख.स. 406/32 तादादी 4.6028 हैक्टेयर, ख.स. 407/32 तादादी 10.1160 कुल तादादी 14.8199 हैक्टेयर रोही मंगलवासी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में खातेदार के रूप में दर्ज ओंकार पुत्र राजाराम हिस्सा 1/72 जाति नायक निवासी मंगलपुरा खातेदार के स्थान पर लिच्छमण पुत्र राजाराम हिस्सा 1/72 जाति नायक निवासी मंगलपुरा खातेदार दर्ज करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार सुजानगढ़ को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2023.02.13 12:08:33 IST
Reason: SelfAttested

मूलचन्द लूणियां
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

<u>डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई</u>

<u>(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)</u>

<u>**(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)**</u>

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**

व इजलास **श्री मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस**

लिच्छमण बनाम राज. सरकार आदि

दावा बाबत डिक्री घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरस्ती एवं संयुक्त खातेदारी विभाजन

मुकदमा न0 126 सन 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु .... हाजरी श्री महेश शर्मा एड. मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत खेत ख.स 405/32 तादादी 0.1011 हैक्टेयर, ख.स. 406/32 तादादी 4.6028 हैक्टेयर, ख.स. 407/32 तादादी 10.1160 कुल तादादी 14.8199 हैक्टेयर रोही मंगलवासी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में खातेदार के रूप में दर्ज ओंकार पुत्र राजाराम हिस्सा 1/72 जाति नायक निवासी मंगलपुरा खातेदार के स्थान पर लिच्छमण पुत्र राजाराम हिस्सा 1/72 जाति नायक निवासी मंगलपुरा खातेदार दर्ज करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार सुजानगढ़ को लिखा जावे।

चीज .... मुबलिग .... बाबत ....
....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 **माह 01. 2023**

<u>दस्तखत</u> ....
....

<u>मुहर</u> ओहदा ....
....

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2023.02.13 12:08:33 IST
Reason: SelfAttested

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।